क्या हैं और वे किस-किस तारीख से पंजीकृत हैं ;

(ख) कितनी समितियों को भूमि प्रदान कर दी गई है और अन्य समितियों को भूमि आबंटन में विलंब किए जाने के क्या कारण हैं तथा उन्हें कब तक भूमि आबंटित कर दी जायेगी ;

(ग) क्या यह सच है कि पूर्व आबंटित भूमि के मूल्य में वृद्धि की गई है और यदि हां, तो उसमें कितनी वृद्धि की गई है तथा उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि राशि वसूली की शर्तों में कोई परिवर्तन किया गया है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 6-1-92 की स्थिति के अनुसार सहकारी समितियों के पंजीयक के कार्यालय में 2027 सामूहिक आवास समितियां पंजीकृत थीं । उनके नामों तथा पंजीकरण की तारीख के बारे में जानकारी संकलित करने के लिए किए गए प्रयासों की तुलना में होने वाले परिणाम सम्भवत: निरर्थक रहेंगे। समितियों की परस्पर वरीयता का प्रश्न इस समय भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्याय-निर्णयाधीन है ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक 518 समितियों को भूमि आवंटित की गई है । जनवरी, 1991 में 227 सामूहिक आवास समितियों को आवंटन तथा मांग-पत्र जारी किए गए थ। तथापि दिल्ली के उच्च न्यायालय के दिनांक 18-5-91 के आदेश द्वारा वे आबंटन रद्द कर दिए गए थे । उच्च न्यायालय ने इस आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है तथा यह मामला न्याय निर्णयाधीन है ।

आठवीं योजना अवधि के दौरान लगभग 400 सहकारी सामूहिक आवास समितियों को द्वारका तथा नरेला में भूमि आबंटित किए जाने की सम्भावना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्लाटों का प्रीमियम वसूल किए जाने के संशोधित शर्त और निबन्ध इस प्रकार है :—

(i) प्लाट के कुल भूमि प्रीमियम का 25 प्रतिशत, प्रीमियम का 10 प्रतिशत अनधिक प्राधिकरण द्वारा तय किए जाने अनुसार इस प्रकार की बयाना राशि के साथ भूमि आबंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय जमा किया जाएगा ;

(ii) प्रीमियम का 50 प्रतिशत मांग तथा आबंटन पत्र जमा करने की तारीख से 60 दिन के भीतर जमा किया जाएगा ; और

iii) धरोहर राशि को समायोजित करने के बाद, शेष प्रीमियम, भूमि का कब्जा लेने से पूर्व अथवा कब्जे की पेशकश करते हुए प्राधिकरण से सूचना प्राप्त होने के दो महीनों के भीतर, जो भी पहले हो, जमा किया जाएगा ।

ऊपर बताए गये अनुसार प्रीमियम अथवा भूमि की कीमत जमा न किये जाने की स्थिति में जमा की गई धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा और प्राधिकरण विहित प्रक्रिया के अनुसार सहकारी समिति सहित किसी भी अन्य व्यक्ति, को भूमि आबंटित करने के लिए सक्षम होगा ।

लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली में आवंटितों के खिलाफ शिकायतें

1544. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली में उन सरकारी आवास आवंटितों की संख्या कितनी है, जिनके विरुद्ध पिछले वर्ष सामूहिक स्थान के दुरुपयोग और पड़ोसियों के साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) कितनी शिकायतें जांच के पश्चात् सही पाई गई ;

(ग) क्या दोषी आवंटितों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है ;

(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ०) यदि नहीं, तो सरकार का उनके विरुद्ध कब तक कार्रवाई करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) इस प्रकार की केवल एक शिकायत प्राप्त हुई है ।

(ग) से (ङ) उक्त शिकायत क्वार्टर संख्या 630, लक्ष्मीबाई नगर (टाइप IV) के आवंटिती श्री ए० एम० तिवारी के विरुद्ध क्वार्टर संख्या 632, लक्ष्मीबाई नगर के आवंटिती श्री एस०के० गर्ग से प्राप्त हुई है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि टेरेस की ओर जाने वाली सामूहिक सीढ़ियों में नौकर को रखा गया था । तदनुसार, श्री तिवारी का आवंटन, जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में उनके स्थानांतरण पर रद्द किया गया था, पूर्वोत्तर क्षेत्र से उनके स्थानांतरित होकर दिल्ली में पुनः तैनात होने पर अभी तक नियमित नहीं किया गया है । श्री तिवारी द्वारा राज्य सभा पूल क्वार्टर संख्या 632, लक्ष्मीबाई नगर के आवंटिती श्री एस० के० गर्ग के विरुद्ध लगाया गया प्रत्यारोप राज्य सभा सचिवालय में उनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाई करने के लिये पहले ही भेज दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश में सिंचाई

1545. **श्री ईशदत्त यादव** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर देश सिंचाई के मामले मे आत्मनिर्भर नहीं है ; और

(ख) सरकार ने इसे सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) राज्य की चरम सिंचाई क्षमता 2.57 करोड़ हैक्टेा है, जिसमें से सातवीं योजना के अन्त तक 2.39 करोड़ हैक्टेयर सृजित की गयी, जो राष्ट्रीय औसत के 70.5% की तुलना में लगभग 93% है । सिंचाई सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए राज्य में अनेक सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है ।

सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना

1546. **श्री ईशदत्त यादव** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पहले से ही अधिगृहीत की गई भूमि का क्षेत्रफल कितना है और उससे प्रभावित हुए परिवारों की संख्या कितनी है ;

(ख) विस्थापित हुए परिवारों से संबंधित उन लोगों की संख्या कितनी है, जिन्हें मुआवजा दिया गया और रोजगार उपलब्ध कराया गया, और

(ग) कितने व्यक्तियों को मुआवजा तथा रोजगार दिए जाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जायेगी ।

Technical help from Israel to link rivers in South India

1547. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government of Israel have agreed to provide technical help and provide experts to India for linking the rivers in South India;